

कार्यालय निदेशक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक- 24/83 -2002-5-1(4)

दिनांक चण्डीगढ़ 22-11-2002

नियमानुसार जांच उपरान्त

नाव जीवन पब्लिक स्कूल

24/83 -2002-5-1(4)

को केवल शैक्षिक सत्र

2001-2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में (बरीष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं में आर्ट्स, कॉमर्स तथा विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की स्थायी मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. संबंधित विद्यालय के प्रबंधक 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार / विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/ छात्राओं की वांछित सभी आवश्यक साधन/ सुविधाएँ अपने खर्च पर उपलब्ध कराएंगे।
2. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की संबंधित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात् केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर लगाया जाए जिन्होंने एम0 ए0 / एम0 एम0 सी0 / एक काम के संबंधित विषय में कम से कम 52 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों को पालना की जाएगी। इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियाँ भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तों के अंतर्गत की जायेगी।
3. सभी छात्र / छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।
4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जाएगी तथा प्रबंधक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जाएंगे जिनकी टीचिंग के लिए आवश्यक साधन / सुविधाएँ विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गयी हो।
7. सरकार/ विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतें / निर्देशों का पालन किया जाएगा।
8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पदलन किया जाएगा।
9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड निवासी जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा।
10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों।
11. हरियाणा शिक्षा विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोहित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाएँ।

PRINCIPAL

NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad.

Chairman

Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

28

कार्यालय निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/183/02-वि0-1(1)

दिनांक चण्डीगढ़ - 23-09-2002

शिव जीवन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद को दसवीं स्तर तक

स्थायी मान्यता दिनांक 1-4-2002 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्राण्ट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड की धारा 158 तथा 214 से 238 तक सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा।
3. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली विभागीय हिदायतों की पालना करेगा।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1986 की धारा-4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा इसके जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।
5. अध्यापकों को वेतन कौंस चैक द्वारा दिया जाए।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाएगा।
7. सेव फ्लोय सवि मु0 13,750/- रुपये एक मास के अन्दर-अन्दर जमा करवावेगा।

एच0सी0 शर्मा
 संयुक्त निदेशक (विद्यालय)
 कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा
 हरियाणा चण्डीगढ़

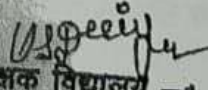
पृष्ठांकन क्रमांक : सम

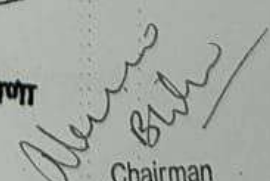
दिनांक :-

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक GI-I/02/6840 दिनांक 03/09/02 के सन्दर्भ में।
2. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. अधीक्षक सेकेंडरी शिक्षा / आंकड़ा (स्थानीय)
5. मुख्याध्यापक, शिव जीवन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद


 (PRINCIPAL)
 NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
 Sector-10, DLF, Faridabad.
 (PRINCIPAL)
 NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
 Sector - 10, DLF, Faridabad.


 अधीक्षक विद्यालय -1
 कृते निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा
 चण्डीगढ़


 Chairman
 Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
 DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी - फरीदाबाद।

आदेश क्रमांक: जी-1-99-114-17

दिनांक 02-02-1999

NAVJIAN PUBLIC SCHOOL FARIDABAD
को कक्षा पहली से पाँचवी तक शिक्षा बोर्ड के निहित शक्तियों का प्रयोग करते
हुये प्राथमिक विभाग तक तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्तों पर स्थान मान्यता प्रदान
की जाती है।

- 1- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेगे और सरकार से किसी पदचा गारन्ट का मांग नहीं करेगा।
- 2- विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी की गयी विद्यार्थी एवं शर्तों तथा स्कुलान कोंर्ड का धारा 214 के तहत सभी नियमों एवं शर्तों को मानने के लिये बाध्य होगा।
- 3- यह कि विद्यालय स्टाफ को वेतन-समय-समय पर सन्तोषान होने पर नियम अनुसार सन्तोषित राष्ट्रीय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम से छ 3 माह के वेतन के बराबर राष्ट्रीय पेंशन करवाने को बाध्य होगा।
- 4- भावी नियुक्तियों/विभाग/सरकार द्वारा जारी नियमानुसार की जावे
- 5- स्टाफ की जी पी एफ - 2 सी पी एफ सरकार के नियमानुसार चालू किया जावे
- 6- फन्डो के डोवर नियम अनुसार इस कार्यालय में भेजे जावे।
- 7- शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय रिकोर्ड एवं शैक्षिक कार्यको किसी भी समय चेक कर सकता है।

(लाज बीका)
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद हरियाणा।

पृ क्रमांक : सम:

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- निर्देशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा चन्डीगढ़।
- 2- छान्द शिक्षा अधिकारी का मुख्या।
- 3- सम्बन्धित विद्यालय का मुख्या।
- 4- अनुभाग अधिकारी स्थानीय।

PRINCIPAL
NAVJIAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad
PRINCIPAL

NAVJIAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद हरियाणा

Chairman

Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

Chairman

Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

28

कार्यालय शिक्षा जिला अधिकारी परीदाबाद

दिनांक 23-02-2001

आदेश क्रमांक बी-1/01/219-25

विषय : माध्यमिक स्तरीय स्थायी मान्यता ।

नव जीवन पब्लिक स्कूल परीदाबाद

से एबी से आरम्भ की जा रही है। निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अने ही छप्पे पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रहे जायेंगे ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मस के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी परीदाबाद के नाम प्लज्ड करायेगे । यदि राशि प्लज्ड ना कराई तो मान्य रद्द की जायेगी ।
4. पेंशन का भुगतान के बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी० पी० स्फ० की राशि स्थानिय बैंक में जमा कराई जाये
6. संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी एजुकेशन कोड शर्तों को पूरा करना । यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. सी० डब्ल्यू० स्फ० रजिस्ट्रार तथा स्पोर्ट्स फंड की राशि का खेसर विभाग के नियमानुसार हर छह अस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य में किसी भी समय कैं कर सकता है ।
9. एजुकेशन कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना

लाजबाना
जिला शिक्षा अधिकारी
परीदाबाद ।

पृष्ठ क्रमांक : सम

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़
उपमंडल शिक्षा अधिकारी परीदाबाद/मलवल ।

संबन्धित विद्यालय का मुखिया ।
बी० स्फ० ई० भिवानी ।

PRINCIPAL
NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)

Chairman
Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)
जिला शिक्षा अधिकारी,
परीदाबाद

(2)

12. संस्था में कार्यरत स्टाफ के छ मास के वेतन के बराबर बकाया रु.15,750/- राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक महीने में बैंक में प्लेस करवायी जाए।

13. विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है।

14. भविष्य में छात्र/ छात्राओं का प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा।

15. संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेंगे वह मान्य होंगे।

सुरीना राजन

निदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा

चण्डीगढ़

पृष्ठक 0 सम

दिनांक चण्डीगढ़

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है।

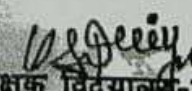
1. प्रबंधक

जिव जीवन पब्लिक
स्कूल फरीदाबाद

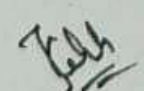
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।

3. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनको

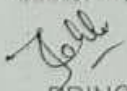
क्रमांक 6-1/9232 दिनांक 23/11/99 के संदर्भ में


अधीक्षक विद्यालय-1

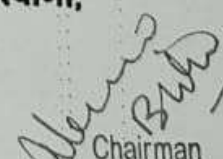
कृते निदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़


PRINCIPAL

NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad.


PRINCIPAL

NAV JIWAN PUBLIC SCHOOL
Sector - 10, DLF, Faridabad.


Chairman

Nav-Jiwan Educational Charitable Trust,
DLF, Sector-10, Block-J, Faridabad (Hr.)